केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026

परीक्षा नोटिस सं. 08/2026-सीएपीएफ़

दिनांक: 20.02.2026

आवेदन भरने की अंतिम तारीख:12.03.2026

(आयोग की वेबसाइट – http://upsc.gov.in)

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

पंजीकरण करने तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के चार कार्ड्स/मॉड्यूल हैं, जिनमें से तीन यथा अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण तथा समान आवेदन प्रपत्र सभी परीक्षा आवेदनों के लिए एक समान हैं और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय भरे जा सकते हैं जबकि चौथा कार्ड/मॉड्यूल परीक्षा विशेष से संबंधित है जिसे किसी परीक्षा की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है। आवेदक वेबसाइट https://upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जनरेट होती है जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान होती है। परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरने के बाद, आवेदन संख्या जनरेट की जाती है, जो परीक्षा विशिष्ट होती है और आवेदक द्वारा आयोग के साथ किसी भी भावी पत्राचार के लिए इसे यूआरएन के साथ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। यूआरएन का पंजीकरण जीवन-काल में एक ही बार करना होगा। जहां एक ओर यूआरएन एक ही रहेगा और वही हमेशा प्रयुक्त होगा वहीं दूसरी ओर आवेदन संख्या परिवर्तनीय होगी और प्रत्येक परीक्षा में बदलती रहेगी।

आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश देने हेतु विस्तृत अनुदेश और सभी प्रोफाइल/मॉड्यूल के साथ-साथ पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने अपेक्षित दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने में कोई परेशानी न हो।

आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती

है।

1. उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें:

सभी उम्मीदवारों (पुरुष/महिला/ट्रान्सजेंडर) को सलाह दी जाती है कि वे सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेन्ट) परीक्षा, 2026 [सीएपीएफ़ (एसी)] परीक्षा, 2026 की नियमावली और इस नियमावली पर आधारित परीक्षा के नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: **अनंतिम** होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। **उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार की गई है।** उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग द्वारा मूल प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाएगा।

2. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों को वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉडयूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेन्ट) परीक्षा, 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथे मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क तथा केन्द्र आदि सहित) के साथ जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता आदि विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: यूआरएन विवरण के लिए एक बार संपादन (एडिट) की सुविधा:

आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

टिप्पणी 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव फोटो कैप्चर करना:

समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय आवेदक को अपना फोटो

अपलोड करना होगा तथा अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। आवेदक यह सुनिश्चित् करें कि अपलोड की गई फोटो तथा कैप्चर की गई लाइव फोटो आयोग की वेबसाइट **https://upsconline.nic.in** में उपलब्ध “अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न > प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश > फोटो तथा हस्ताक्षर” में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

टिप्पणी 3: हस्ताक्षर अपलोड करना:

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।"

2.1 आवेदन वापस लेना:

उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदन जमा करने के बाद किसी भी क्षेत्र में कोई सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-**II** में दिए गए हैं।

2.2 उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होते समय इस फोटो पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **12 मार्च, 2026 को सायं 06.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं।

4. ई-प्रवेश पत्र जारी करना:

ई-प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख के पहले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र उम्मीदवार द्वारा डाउनलोड करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की

वेबसाइट [https://upsconline.nic.in] पर उपलब्ध होंगे। डाक अथवा ई-मेल द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अकाउंट बनाते समय मान्य और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रदान करें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कर सकता है।

5. गलत उत्तरों के लिए दंड:

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** का प्रावधान होगा।

6. ओएमआर पत्रक को भरने के लिए अनुदेश:

(क) ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में उत्तर लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें। अन्य रंग के पेन का प्रयोग प्रतिबंधित है। पेंसिल या स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के परिशिष्ट-III में उल्लिखित विशेष अनुदेशों को पढ़ें।

(ख) उम्मीदवार यह ध्यान दे कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

7. विशेष अनुदेश:

उम्मीदवारों को “परंपरागत प्रकार के प्रश्न-पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश” (परिशिष्ट-IV) को सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

8. उम्मीदवार के लिए सहायता डेस्क:

आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक विशिष्ट हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता पाने के इच्छुक उम्मीदवार हेल्पलाइन **011-24041001** या ई-मेल आईडी- upscsoap@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन विंडो अर्थात् **20.02.2026 से 12.03.2026** के दौरान सभी कार्य दिवसों में **प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक** कार्यरत रहेगी। आवेदक, शुल्क भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

9. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाले डिवाइस या पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच इत्यादि जैसे कोई स्टोरेज मीडिया या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाले किसी अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू रूप में, का प्रयोग करना सख्त मना है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई सहित भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर अथवा अन्य कीमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए परीक्षा-स्थल पर कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। आयोग इस संबंध में हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. <u>परीक्षा-स्थल पर रिपोर्ट करना:</u>

उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर समय से पूर्व अर्थात् परीक्षा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ होने के कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में विलंब से परीक्षा-स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. <u>परीक्षा-स्थल पर उम्मीदवारों के लिए फेस-ऑथेंटिकेशन:</u>

सुरक्षित एवं निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित् करने के लिए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर अनिवार्य रूप से फेस-ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फेस-ऑथेंटिकेशन/पहचान के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा-स्थल पर पहुंचें।

12. <u>ऑनलाइन प्रश्न – पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)</u>:

आयोग इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र (पत्रों) की उत्तर कुंजी के संबंध में परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों द्वारा आयोग को दिए जाने वाले अभ्यावेदनों के लिए पांच (05) दिन अर्थात् परीक्षा की तारीख के तीसरे दिन से सातवें दिन सायं 06:00 बजे तक की समय सीमा प्रदान करेगा। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <u>https://upsconline.nic.in</u> पर लॉगिन करें तथा प्रश्न पत्र के संबंध में अभ्यावेदन यदि कोई हो, तो परीक्षा > प्रश्न पत्र संबंधी अभ्यावेदन शीर्ष के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। ई-मेल/डाक/दस्ती रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा और आयोग इस संबंध में उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। 05 दिन की विंडो के बंद होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

सरकार ऐसा कार्मिक बल तैयार करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जो महिलाओं और पुरुषों के संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवेदन करें।

संख्या-11/03/2025-परीक्षा-1(ख) – संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक **19 जुलाई, 2026** को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ़.), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) तथा सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) में सहायक कमांडेंट (समूह - क) की भर्ती हेतु एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक **20 फरवरी, 2026** के भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा संबंधी नियमावली के अनुसार आयोजित की जाएगी। उपर्युक्त परीक्षा के आयोजन की तारीख आयोग के विवेकानुसार परिवर्तित की जा सकती है।

परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अस्थायी संख्या निम्नलिखित है :

(i) बीएसएफ़	**108**
(ii) सीआरपीएफ़	**106**
(iii) आईटीबीपी	**12**
(iv) एसएसबी	**53**
(v) सीआईएसएफ़	**70**
कुल	**349**

उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण लागू किया जाएगा। कुल रिक्तियों में से 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित हैं।

2.1 पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र :

2.1 (क). केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा जन्म तिथि, श्रेणी [अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिक], शैक्षणिक योग्यता, सेवा/बल संबंधी वरीयता आदि विभिन्न दावों के लिए आयोग द्वारा यथापेक्षित सूचना और समर्थित दस्तावेज **समान आवेदन प्रपत्र** के साथ प्रस्तुत करने होंगे। प्रपत्र भरने के विस्तृत अनुदेशों हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026 के नोटिस का संदर्भ लिया जा सकता है। **यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण, समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र** के साथ अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

ध्यान दें : उम्मीदवार यह भी ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र एक बार प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कुछ भी जोड़ने/हटाने/बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदन में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उस आवेदन पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किया गया है।

2.1 (ख) आयोग, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, **2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद (15) पंद्रह दिन** के लिए एक विंडो प्रदान करेगा। शारीरिक मानदण्ड परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अर्हक सभी उम्मीदवारों को इस विंडो के दौरान (https://upsconline.nic.in) पर अनिवार्य रूप से लॉग इन करना होगा तथा अपने विवरण/शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (स्टेटस) (क्या शामिल हो रहे हैं/शामिल हो चुके हैं) को अद्यतन करने के साथ अपेक्षित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण भी देना होगा, और अपने दावे के प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर परीक्षा के आगे के चरणों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आयोग इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं करेगा।

टिप्पणी-1: उपरोक्त पैरा 2.1 (ख) के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को (जहां लागू हो) पत्राचार/स्थायी डाक पता, उच्च शैक्षणिक योग्यता, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि (यदि कोई हो), रोजगार विवरण/सेवा अनुभव, पूर्व/पिछली केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेंट) परीक्षा (यदि कोई हो) के आधार पर आबंटित सेवा/ बल तथा वर्तमान परीक्षा के लिए बलों के संबंध में वरीयता, **वैवाहिक स्थिति, माता-पिता का विवरण, विवर्जन संबंधी सूचना, पहले की परीक्षा का विवरण, अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस अनुबंध (जहां लागू हो), सामाजिक-आर्थिक प्रश्नावली], जो भी लागू हो, को अद्यतन करना आवश्यक है और अपना ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा।**

टिप्पणी-2: जिन उम्मीदवारों ने अपेक्षित दस्तावेज/जानकारी पहले अपलोड कर दी है और उनके पास अद्यतन करने/भरने के लिए कोई जानकारी नहीं है, उन्हें भी लॉगिन करना होगा और विवरण को सत्यापित करने के उपरांत अंतिम रूप से जमा करना होगा ताकि व्यक्तित्व परीक्षण /साक्षात्कार के लिए ई–प्रवेश पत्र जेनरेट हो सके।

टिप्पणी-3: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन सूचना के संबंध में जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखें।

2.2 परीक्षा केन्द्र :

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

क्रम संख्या	केन्द्र	क्रम संख्या	केन्द्र	क्रम संख्या	केन्द्र
1.	अगरतला	20.	गाजियाबाद	39.	मेरठ
2.	अहमदाबाद	21.	गुरूग्राम	40.	मुंबई
3.	आइजोल	22.	हैदराबाद	41.	नागपुर
4.	अल्मोड़ा (उत्तराखंड)	23.	इंफाल	42.	पणजी (गोवा)
5.	बेंगलुरु	24.	इंदौर	43.	पटना
6.	बरेली	25.	ईटानगर	44.	पोर्ट ब्लेयर (श्रीविजयपुरम)
7.	भोपाल	26.	जयपुर	45.	प्रयागराज (इलाहाबाद)
8.	भुवनेश्वर	27.	जम्मू	46.	पुणे
9.	चंडीगढ़	28.	जोधपुर	47.	रायपुर
10.	चेन्नई	29.	जोरहाट	48.	रांची
11.	कटक	30.	कानपुर	49.	संबलपुर
12.	देहरादून	31.	कारगिल	50.	शिलांग
13.	दिल्ली	32.	कोच्चि	51.	शिमला
14.	धर्मशाला (हि.प्र.)	33.	कोहिमा	52.	श्रीनगर
15.	धारवाड़	34.	कोलकाता	53.	श्रीनगर (उत्तराखंड)
16.	दिसपुर	35.	लेह	54.	तिरुवनंतपुरम
17.	फरीदाबाद	36.	लखनऊ	55.	तिरुपति
18.	गंगटोक	37.	मदुरै	56.	उदयपुर
19.	गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)	38.	मंडी(हि.प्र.)	57.	विशाखापत्तनम

आयोग अपने विवेकानुसार, परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा उसके आयोजन की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। आवेदक यह नोट करें कि **चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता तथा नागपुर** को छोड़कर प्रत्येक केन्द्र पर आबंटित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा (सीलिंग) निर्धारित होगी। केन्द्रों का आबंटन "**पहले आवेदन-पहले आबंटन**" के आधार पर किया जाएगा और किसी केन्द्र विशेष की क्षमता पूरी हो जाने के उपरांत, वह केन्द्र उम्मीदवारों के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं होगा। सीलिंग के कारण जिन उम्मीदवारों को अपनी पसंद का केन्द्र प्राप्त नहीं होता उन्हें शेष केन्द्रों में से कोई केन्द्र चुनना होगा। अत: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें ताकि उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र प्राप्त हो सके।

विशेष ध्यान दें: पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, आयोग को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता होने पर अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है।

परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षा स्थल/स्थलों की सूचना दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा नियत की गई रिक्तियों के संबंध में आरक्षण दिया जाएगा।

किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेंट) परीक्षा, 2026 के लिए आवेदन करने वाले अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25, 2023-24 तथा 2022-23 की आय के आधार पर अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो 01.04.2025 (वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के उपरांत) को/ के पश्चात् जारी हुआ हो परंतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेंट) परीक्षा, 2026 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात 12.03.2026 के बाद का न हो।

यदि कोई उम्मीदवार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेंट) परीक्षा, 2026 के अपने आवेदन प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह अनारक्षित श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में परिवर्तन करने के लिए आयोग को लिखता है तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज .जा .को अ.जा., अ.पि.व .को अ. जा./ अ. ज. जा. या अ. जा./अ. ज.जा.को अ.पि.व., अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत परीक्षा के प्रत्येक चरण पर सामान्य मेरिट के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (उनके अनुरोध पर या उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयोग/सरकार द्वारा यथानिर्धारित) करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (बल) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानदण्डों के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करने के मामले में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

यद्यपि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तारीख के समय के बीच तीन (03) महीने से अधिक अंतर न हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

अ.जा./अ.ज.जा./ईडब्ल्यूएस/ अ.पि.व. के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उम्मीदवारों के पास ऐसे लाभों के लिए नियमावली/नोटिस में यथानिर्दिष्ट किए गए अनुसार, अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में सभी अपेक्षित **वैध** प्रमाणपत्र अंतिम तारीख तक मौजूद होने चाहिएं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेंट) परीक्षा, 2026 का कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लाभ प्राप्त करने का पात्र तभी माना जाएगा यदि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदण्डों को पूरा कर रहा हो और उसके पास वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु अपेक्षित आय के आधार पर आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र मौजूद हो तथा यह प्रमाणपत्र 01.04.2025 को/के पश्चात (वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्त होने के उपरांत) जारी हुआ हो परंतु केन्द्रीय

सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमाण्डेंट) परीक्षा, 2026 हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख अर्थात 12.03.2026 के बाद जारी नही हुआ हो।

3. <u>प्रतिभा सेतु पोर्टल (पूर्ववर्ती - सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना) :-</u>

रोजगार के अवसरों तक बेरोजगार व्यक्तियों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के अनुसार, परीक्षा के अंतिम चरण (साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण) में उपस्थित हुए, लेकिन अनुशंसित नहीं हुए उम्मीदवारों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर विशिष्ट पोर्टल पर किसी भी पंजीकृत निजी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक और भारत सरकार के स्वायत्त संगठनों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान की जा सके। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, संपर्क नंबर, उनके पर्सेंटाइल (पूर्ण या प्रतिशत अंक नहीं) सहित उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त भी इस विशिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध डेटा केवल इन पंजीकृत संगठनों के लिए रोजगार के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के उद्देश्य प्रयोजनार्थ ही होगा। ये सूचियां अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद आरक्षित सूची का उपयोग हो जाने/समाप्त हो जाने पर उपलब्ध कराई जाएंगी।। यह नोट कर लिया जाए कि आंशिक प्रकटन का कोई विकल्प नहीं है और एक बार विकल्प दिए जाने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

उम्मीदवारों को, **परीक्षा संबंधी विशिष्ट मॉड्यूल** को भरते समय इस संबंध में अपनी सहमति देनी होगी। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंक संबंधी विवरण का प्रकटन नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि ऐसे उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, **इन पंजीकृत संगठनों** द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

4. पात्रता की शर्तें:

(I) राष्ट्रीयता: इन नियमों के अन्तर्गत उस व्यक्ति को छोड़कर जिसे केन्द्रीय सरकार ने लिखित रूप में सहमति प्रदान की हो, भारत के नागरिक के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा या रोजगार में नहीं लिया जायेगा।

किंतु यह कि इस नियमावली के अंतर्गत नेपाल या भूटान की प्रजा को नियुक्ति, नामांकन या रोजगार से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

(II) लिंग: सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार पात्र हैं।

(III) आयु :

(क) उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 2026 को 20 वर्ष पूरी हो गई हो तथा 25 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त, 2001 से पहले तथा 1 अगस्त, 2006 के बाद न हुआ हो।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार होगी:-

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार के लिए अधिकतम पांच (05) वर्ष।

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित आरक्षण प्राप्त करने के पात्र उम्मीदवार के लिए अधिकतम तीन (03) वर्ष।

(iii) केन्द्रीय सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों के लिए अधिकतम पांच (05) वर्ष। भूतपूर्व सैनिक भी इस छूट के पात्र होंगे। तथापि सरकारी सेवा के आधार पर दावा की गई कुल छूट पांच (05) वर्ष तक सीमित होगी।

टिप्पणी I : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 4(III)(ख) के अंतर्गत किसी भी अन्य खंड में आते हैं अर्थात् जो असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।।

टिप्पणी II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुन: नियोजन) नियमावली, 1979 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/2021-स्था. (आरक्षण.II) दिनांक 27.02.2023 के तहत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:-

सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवार सिविल पदों हेतु आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे जब वे विशेष भर्ती/ परीक्षा आदि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बल सेवा की निर्धारित अवधि को पूरा कर लें।

बशर्ते, जब चयन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष से अधिक का समय लगता है, तब उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के तहत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के उपरांत स्वयं को सशस्त्र बल से सेवामुक्त करा लिया है।"

ऐसे उम्मीदवारों के पास आवेदन की अंतिम तारीख अर्थात् 12.03.2026 तक, इस नोटिस के परिशिष्ट–VI(क) एवं VI(ख) के अनुसार निर्धारित प्रमाणपत्र तथा परिवचन भी होना चाहिए।

टिप्पणी-III : उपर्युक्त 4 (III) (ख)(iii) में "केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारी" शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अधीन "सरकारी कर्मचारी" के रूप में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी-IV : उपर्युक्त पैरा 4(III)(ख)(iii) के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक हेतु आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबेटेंट अथवा नॉन-कंबेटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा उसके अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा उसे अवमुक्त किया गया हो। "केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी" शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अधीन "सरकारी कर्मचारी" के रूप में परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त प्रावधान को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में निर्धारित आयु सीमा में छूट नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी-V: आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या सैकेंडरी स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे कि जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा सदृश प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेश के इस भाग में

आए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा" प्रमाणपत्र वाक्यांश के अन्तर्गत उपरोक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-VI: उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें (या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में) किसी भी स्थिति में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(IV) <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं:</u>

उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता हो।

टिप्पणी-I : यदि उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार वर्ष 2026 में ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

तथापि, ऐसे सभी उम्मीदवारों जिन्होंने परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त की है, को आयोग द्वारा शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए अर्हक घोषित किए जाने पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2026 की नियमावली के नियम 15 के उपनियम 9.1 तथा 9.2 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित अर्हक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के केवल वैध प्रमाण जैसे डिग्री प्रमाणपत्र/अंतिम अंक पत्रक/अनंतिम डिग्री प्रमाणपत्र आदि जो सामान्यतः विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परिणामों की औपचारिक घोषणा के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार को जारी किए जाते हैं, स्वीकार किए जाएंगे।

टिप्पणी II : विशेष परिस्थितियों में आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर

आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी III:- जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक तथा तकनीकी डिग्री के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता है, वे भी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

V. अंतिम रूप में चयनित/ पहले से अनुशंसित उम्मीदवारों के परीक्षा में पुन: बैठने पर प्रतिबंध:

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा में भाग लेने वाले किसी भी बल में सहायक कमांडेंट के पद के लिए किसी पूर्व परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट की भर्ती हेतु उत्तरवर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

IV <u>शारीरिक मानक :</u>

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को **परिशिष्ट-V** में विनिर्दिष्ट शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।

VII. एन.सी.सी. "बी" अथवा "सी" प्रमाणपत्र का होना:

एन.सी.सी. "बी" अथवा "सी" प्रमाणपत्र का होना एक वांछनीय योग्यता है। इन वांछनीय योग्यताओं को केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय महत्व दिया जायेगा।

5. <u>शुल्क:</u>

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026 में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों (महिला/अजा/अजजा उम्मीदवारों जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है को छोड़कर) को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपये) का शुल्क किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे/ क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई पेमेंट का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

टिप्पणी -1: उम्मीदवार यह ध्यान दें कि परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल उपर्युक्त निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने पर न तो वह वैध माना जाएगा और न ही वह स्वीकार्य होगा।ऐसे आवेदन अस्वीकृत कर दिये जाएँगे

जिनके साथ निर्धारित शुल्क जमा न किया गया हो अथवा शुल्क भुगतान निर्दिष्ट माध्यम से न किया गया हो(यदि शुल्क माफी का दावा न किया गया हो)।

टिप्पणी-2: एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इस शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों /आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

6. आवेदन कैसे करें:

(क) उम्मीदवारों को वेबसाइट **https://upsconline.nic.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉडयूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) **परीक्षा, 2026** के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित विभिन्न दावों के लिए आयोग द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी और सहयोगी दस्तावेजों के साथ यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथा मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क एवं केन्द्र सहित) जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

<u>टिप्पणी 1:- यूआरएन विवरण को एक बार संपादित (एडिट) करने की सुविधा:</u>

आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

<u>टिप्पणी 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:</u>

आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपने फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट

https://upsconline.nic.in पर उपलब्ध “अनुदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न > फॉर्म भरने के अनुदेश > फोटो और हस्ताक्षर” में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हों।

टिप्पणी 3: हस्ताक्षर अपलोड करना:

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर "अनुदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।"

टिप्पणी 4: उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसके किसी भी क्षेत्र (क्षेत्रों) में कोई सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।

(ख) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या निजी रोजगार में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या कार्य प्रभारित कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं, उन्हें अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत व्यक्तियों को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना चाहिए कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-1: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा उसके ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देता है, तो ऐसे उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-2: अपूर्ण या दोषपूर्ण आवेदनों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस अस्वीकृति के संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यावेदन या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 3: उम्मीदवारों को इस स्तर पर आयोग को अपने आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग द्वारा परीक्षा के सभी चरणों, जिसके लिए उन्हें प्रवेश दिया गया है जैसे लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण और चिकित्सा मानक परीक्षण में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण और चिकित्सा मानक परीक्षण से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो आयोग द्वारा उनके खिलाफ **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026** की नियमावली के नियम 14, जो निम्नानुसार है, के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी:

(1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या ब्लैकमेल करने की धमकी देना,

अथवा

(ख) किसी अन्य उम्मीदवार के बदले परीक्षा देना,

अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह परीक्षा देने के लिए तैयार करना,

अथवा

(घ) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो,

अथवा

(ङ) आवेदन प्रपत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत या गलत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य देना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना छिपाया है,

अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग करना, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना;

अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत बातें लिखना,

अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है;

अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या धमकी देना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचा ना;

अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, का प्रयोग किया जाना या उनके पास पाया जाना;

अथवा

(ङ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन करना;

अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य, जैसा भी मामला हो, को करने या करने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया हो;

तो उस पर समय-समय पर यथा-संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत यथोचित कानूनी कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त उसे आयोग द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित कर दिया जाएगा;

और यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु यह कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(ii) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित रूप में ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए जैसा वह प्रस्तुत करना चाहे; और

(ii) उम्मीदवार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो पर विचार न किया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ङ) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध समय-समय पर यथा-संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत उपर्युक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

टिप्पणी: यदि कोई उम्मीदवार अनुचित साधन रखते या उसका प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो ऐसा कृत्य परीक्षा से जुडे पदाधिकारियों के संज्ञान में आते ही, उसे इस परीक्षा में आगे शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आयोग के परामर्श से उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के बाद के पेपरों में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:

(i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र दिनांक **12 मार्च, 2026** को सायं 6:00 बजे तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट–II में दिए गए हैं।

(ii) उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग के साथ पत्राचार:

आयोग निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्राचार नहीं करेगा :

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **[https://upsconline.nic.in]** पर उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। डाक या ई-मेल द्वारा कोई ई-प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस तक अपना ई-प्रवेश पत्र अथवा अपनी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर **हेल्पडेस्क सं. 011-24041001** के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि परीक्षा प्रारंभ होने से तीन दिन पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के संबंध में उम्मीदवार से कोई सूचना आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि, यदि कोई हो, होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम होगा। यह द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

यह तथ्य कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है का यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा उसके केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026 के यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण, समान आवेदन प्रपत्र और परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों को आयोग द्वारा सही मान लिया गया है। उम्मीदवार ध्यान रखें कि उम्मीदवार के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही आयोग उसकी पात्रता की शर्तों के मूल दस्तावेजों से सत्यापन का कार्य करता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

उम्मीदवार उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार ध्यान रखें कि तकनीकी कारणों से ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं संक्षिप्त रूप से नाम लिखे जा सकते हैं।

(ii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो, क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कर सकता है।

(iii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आवेदन में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्राचार को, यदि आवश्यक हो, पुनर्निर्देशित किया जाए। पते में परिवर्तन की सूचना यथाशीघ्र आयोग को दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों को ध्यान में रखने का हर संभव प्रयास करता है, फिर भी वह इस मामले में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा।

(iv) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उन्हें किसी अन्य उम्मीदवार के लिए जारी किए गए ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए ।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन)
3. आवेदन संख्या
4. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो)

5. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में)
6. डाक का पूरा पता, जैसाकि आवेदन प्रपत्र में दिया गया है
7. मान्य एवं सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल संख्या

ध्यान दें-I : जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।

विशेष ध्यान दें-II: यदि किसी उम्मीदवार से परीक्षा के बाद कोई पत्र/संप्रेषण, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विशेष ध्यान दें-III: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भावी संदर्भ के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अथवा सॉफ्ट कॉपी रख लें।

9. सेवा/बल आबंटन:

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय निर्दिष्ट की गई सेवा/बल वरीयता तथा योग्यता सूची में स्थान के आधार पर सेवा/बल का आबंटन किया जाएगा। सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार पात्र हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के साथ जन्म तिथि, श्रेणी (अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. {अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी अनुबंध – (केवल अन्य पिछड़े वर्ग के लिए)} तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग {आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी अनुबंध – केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए)} से संबधित स्कैन किए गए तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र या सहायक दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने में विलंब नहीं होना चाहिए। विलंब होने पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026 के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

आवेदन प्रपत्र और/या समर्थित दस्तावेज को ऑनलाइन माध्यम, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट में उपलब्ध करवाया जाएगा, के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

10. अन्य जानकारी:

उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए नीचे निर्दिष्ट किए गए परिशिष्टों का संदर्भ लें :

(क)	चयन प्रक्रिया/परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम	**परिशिष्ट – I**
(ख)	ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए उम्मीदवारों हेतु अनुदेश	**परिशिष्ट – II**
(ग)	वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के लिए उम्मीदवारों हेतु विशेष अनुदेश	**परिशिष्ट – III**
(घ)	परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए उम्मीदवारों हेतु विशेष अनुदेश	**परिशिष्ट – IV**
(ड.)	शारीरिक एवं चिकित्सा मानदंड	**परिशिष्ट – V**

(जितेन्द्र कुमार मंडल)
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट - I
चयन प्रक्रिया/परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम

(क) चयन प्रक्रिया/योजना

चयन प्रक्रिया/परीक्षा की योजना निम्नलिखित होगी :

(i) लिखित परीक्षा : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा 19 जुलाई, **2026** को होगी तथा इसमें दो प्रश्न पत्र शामिल होंगे। प्रश्न–पत्र-I **प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक** होगा तथा **प्रश्न–पत्र-II अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक** होगा।

प्रश्न–पत्र-I : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता - 250 अंक

इस प्रश्न–पत्र में प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रकार के उत्तर) के होंगे जो हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी होंगे।

प्रश्न–पत्र-II : सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश (कॉम्प्रीहेन्शन) - 200 अंक

इस प्रश्न–पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में लिखने के विकल्प की अनुमति होगी किन्तु संक्षेपण लेखन, अपठित गद्यांश एवं अन्य संचार/भाषा कौशल केवल अंग्रेजी में ही लिखने की अनुमति होगी।

टिप्पणी I: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे प्रश्न–पत्र-II के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया है, आयोग द्वारा अनुमत माध्यम में ही लिखें। प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में दर्शाना होगा। निबंध के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है, तो उसे कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी II: प्रत्येक प्रश्न–पत्र में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किए जाएंगे। प्रश्न पत्र-I का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा प्रश्न–पत्र-II का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो प्रश्न पत्र-I में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करेंगे।

(ii) शारीरिक मानदंड परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण:

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता घोषित किए जाते हैं, उन्हें शारीरिक मानदंड परीक्षण /शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। वे उम्मीदवार जो इस नोटिस के **परिशिष्ट-V** में विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदंडों को पूरा करते हैं, उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) किया जाएगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)

		पुरूष	महिलाएं
(क)	100 मीटर दौड़	16 सैकेण्ड में	18 सैकेण्ड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सैकेण्ड में	4 मिनट 45 सैकेण्ड में
(ग)	लम्बी कूद *	3.5 मीटर (3 अवसर)	3.0 मीटर (3 अवसर)
* टिप्पणी: लम्बी कूद के दौरान, यदि किसी उम्मीदवार के शरीर का कोई अंग, (महिला उम्मीदवार के लिए 3 मीटर तथा पुरुष उम्मीदवार के लिए 3.5 मीटर) शुरुआती रेखा (स्टार्टिंग लाइन) या अंतिम रेखा (फिनिशिंग लाइन) (दोनों रेखाओं सहित) को छूता है तो उसे लम्बी कूद प्रतियोगिता में अयोग्य माना जाएगा। उम्मीदवारों को निर्धारित दूरी अर्थात् महिलाओं के लिए 3 मीटर तथा पुरुष के लिए 3.5 मीटर को कूदकर पार करना होगा।			
(घ)	गोला फेंकना (शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.5 मीटर (3 अवसर)	---------

महिला उम्मीदवारों द्वारा पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षण)/पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) के लिए रिपोर्ट करते समय, गर्भावस्था के संबंध में अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी। यदि वह यह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। मिथ्या घोषणा करने के मामले में पीएसटी/पीईटी में भाग लेने पर समस्त जोखिम के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगी। यदि कोई महिला उम्मीदवार पीएसटी/पीईटी से पूर्व घोषणा करती है कि वह गर्भवती है तो इस बात की पुष्टि के लिए एक परीक्षण किया जाएगा और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, चाहे उसकी गर्भावस्था की अवधि कुछ भी हो, तो उसे अस्थाई रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा और प्रसव होने तक उसकी नियुक्ति को रोक दिया जाएगा। जिस पद के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया गया था, उसे उस महिला के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। किसी पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त फिटनेस का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, प्रसूति के छह सप्ताह बाद, पीएसटी/पीईटी हेतु उसका पुन: परीक्षण किया जाएगा। यदि वह पीएसटी/पीईटी तथा डीएमई में फिट पाई जाती है, तो उसे उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त जाएगा और समय-समय पर यथासंशोधित सरकार के अनुदेशों के अनुसार

वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा। यदि महिला उम्मीदवार गर्भवती नहीं पाई जाती हैं तो उन्हें पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि गर्भावस्था तथा उसी के कारणवश अस्थायी रूप से अनफिट होने पर भी साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अन्य उम्मीदवारों के साथ आयोग द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होना होगा तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में उनके अनुपस्थित होने पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

शारीरिक मानदंड परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में आयोजित किए जाएंगे। ये परीक्षण, विविध केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे जिन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरान्त अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण : जिन उम्मीदवारों को शारीरिक मानदंड परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किया जाता है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में अयोग्य घोषित किए जाते हैं उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए नहीं बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण **150 अंकों** का होगा।

(iv) चिकित्सा मानदंड परीक्षण:

जो उम्मीदवार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित हुए हैं, केवल उन उम्मीदवारों के चिकित्सा मानदंड परीक्षण, परिशिष्ट-V में विनिर्दिष्ट मानदंडों की जांच हेतु, आयोजित किया जाएगा।

चिकित्सा मानदंड परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में आयोजित किया जाएंगे।

केवल चिकित्सा मानदंड परीक्षणों के विरूद्ध की गई अपीलों पर विचार किया जाएगा। ये अपील, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के परिणाम की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर, गृह मंत्रालय द्वारा नामित अपीलीय प्राधिकारी को करनी होंगी।

(v) अंतिम चयन/योग्यता : योग्यता सूची, उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर बनाई जाएगी।

(vi) इसके अतिरिक्त, यदि कोई उम्मीदवार चिकित्सा मानदंड परीक्षण के उपरांत निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(vii) '**अंकों का पूर्णांकन' तथा 'टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत':**

अंकों के पूर्णांकन से संबंधित प्रावधान, जहां भी लागू हों तथा अंक संबंधी टाई के मामलों के समाधान हेतु सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

(क) **अंकों का पूर्णांकन :**

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहाँ भी लागू हो, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, 'टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों' को लागू करते समय, टाई के सभी मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत:

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो लिखित परीक्षा के पेपर-**I**: सामान्य योग्यता **एवं बुद्धिमता"** में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) तथा (ii) में भी अंक समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iv) जिन मामलों में उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात भी टाई की स्थिति बनी रहती है तब उनका समाधान आयोग के विवकानुसार किया जाएगा।

(ख) लिखित प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम

प्रश्न–पत्र-I : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता:

इस प्रश्न-पत्र में बहुविकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे :

1. सामान्य मानसिक योग्यता:

ये प्रश्न **तार्किक विवेचना,** संख्यात्मक योग्यता एवं डाटा इंटरप्रिटेशन सहित गणितीय अभिरूचि के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे।

2. सामान्य विज्ञान:

ये प्रश्न सामान्य **जागरूकता**, वैज्ञानिक प्रकृति, नए क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी जैव-प्रौद्योगिकी **एवं** पर्यावरणीय विज्ञान **आदि जैसे नए** महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समझ (परिज्ञान) एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार **किए जाएंगे ।**

3. राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं:

इन प्रश्नों से संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासत्मक **मुद्दों,** उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव **जैसे व्यापक क्षेत्रों में** राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में उम्मीदवारों **की जागरूकता का** परीक्षण किया **जाएगा।**

4. भारतीय राज्यव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था:

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से देश की राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत में आर्थिक विकास, **क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों एवं मानवाधिकार** सहित इसके सूचकों के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा।

5. भारत का इतिहास:

ये प्रश्न व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक **पहलुओं** के विषयों से संबंधित होंगे। **इनमें** राष्ट्रवाद की प्रगति तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के क्षेत्र भी शामिल होंगे।

6. भारत एवं विश्व का भूगोल:

ये प्रश्न भारत तथा विश्व के संदर्भ में भूगोल के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित होंगे।

प्रश्न पत्र-II : सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश

भाग क – निबंध प्रकार के प्रश्न, जिनका उत्तर लंबे वर्णनात्मक रूप में हिन्दी या अंग्रेजी में दिया जाता है, कुल 80 अंक के होंगे। इन विषयों में - आधुनिक भारतीय इतिहास विशेषतया स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सुरक्षा तथा मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यता शामिल हैं।

भाग ख - अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, अन्य संप्रेषण/भाषा कौशल - जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं (अंक-120) – विषय हैं – अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, तर्क-वितर्क, सामान्य व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पक्ष।

परिशिष्ट – II

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए उम्मीदवारों हेतु अनुदेश

- उम्मीदवार द्वारा वेबसाइट **https://upsconline.nic.in** का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा।
- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर 'अनुदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' -> 'फॉर्म भरने हेतु अनुदेश' के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले सामान्य अनुदेश, विवरण/मॉड्यूल-वार अनुदेश और दस्तावेज़ अपलोड करने संबंधी अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026** के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता आदि दावों के संबंध में आयोग द्वारा मांगी गई विभिन्न जानकारियों और सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन पत्र (सीएएफ) और चौथा मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क और केंद्र आदि सहित) जमा करना होगा।
- **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2026** में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों (महिला/ अजा/अजजा उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपये) का शुल्क किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई पेमेंट का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।
- ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि फोटोग्राफ फ़ाइल 200 केबी से अधिक नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ का आकार 20 केबी से कम न हो और हस्ताक्षर फ़ाइल 100 केबी से अधिक और आकार 20 केबी से कम न हो।
- उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी)/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा।

उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

- ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी, 2026 से 12 मार्च, 2026 **को सायं 18:00 बजे** तक भरे जा सकते हैं।
- आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना मान्य और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-मेल नियमित रूप से देखें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in और @gov.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर में आएं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर में नहीं।
- **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।**
- आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरें।

परिशिष्ट-III

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी:

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो), उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर अंकित करने के लिए अच्छी किस्म का काला बॉल पेन। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी:

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, परीक्षा हॉल में न लाएं।

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में लाना मना है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

3. <u>**गलत उत्तरों के लिए दंड:**</u>

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर

माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

(iii) **यदि उम्मीदवार द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।**

4. **<u>अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित :</u>**

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. **<u>परीक्षा भवन में आचरण:</u>**

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. **<u>उत्तर पत्रक विवरण:</u>**

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में), विषय कोड और अनुक्रमांक काले बाल प्वांइट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बॉल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हो अथवा उत्तर पत्रकों पर संख्या न हो तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या विकृत न करें अथवा बर्बाद न करें अथवा उसमें कोई अवांछित/असंगत निशान न लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अत: उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाएगा, अत: उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए। उम्मीदवार को उत्तर पत्रक में अपने उत्तर अच्छी किस्म के काले बॉल पेन से अंकित करने चाहिए।**

10. **उत्तर अंकित करने का तरीका:**

"वस्तुनिष्ठ " परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है। प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1,2,3… आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना चाहिए।

किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना है। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा। उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं तब आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है।

उत्तर प्रत्रक पर वृत्तों को काला करने के लिए स्याही वाले पेन या पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले

वृत्त को निम्नानुसार काले बॉल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) • (c) (d)

11. <u>स्कैनेबल उपस्थिति सूची में ऐंट्री कैसे करें :</u>

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, अपने कॉलम के सामने **केवल काले बॉल पेन** से संगत विवरण निम्नानुसार भरना है:-

(i) उपस्थिति/ अनुपस्थिति कॉलम में (p) वाले गोले को काला करें।

(ii) समुचित परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के संगत गोले को काला करें।

(iii) समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।

(iv) उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।

(v) संगत काँलम में अपने हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण करता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

13. परीक्षा का निर्धारित समय समाप्त होने से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है

<u>अनुबंध</u>

परीक्षा कक्ष में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई हो। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केंद्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक
-------	--------	-------------	-----------
Centre	Subject	S. Code	Roll Number

मान लें कि आप सामान्य अध्ययन परीक्षण की परीक्षा के लिए दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बॉल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।*

केंद्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक
-------	--------	------------- 9 9	----------- 0 8 1 2 7 6
Centre	Subject	S. Code	Roll Number
दिल्ली	सामान्य योग्यता		

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बॉल पेन से लिखें। परीक्षण पुस्तिका

श्रृंखला पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें कोने पर ए बी सी अथवा डी द्वारा दी गई है।

आप काले बॅल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके ई-प्रवेश पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप समय सारणी में से समुचित विषय कोड ढूंढें। अब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले बॉल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के सामान्य योग्यता विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 99 लिखना है, इसे इस प्रकार लिखें।

पुस्तिका क्रम	विषय कोड
Booklet Series (A)	Subject Code **9 9**

बस इतना करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '9' के लिए (पहले उध्र्वाधर कॉलम में) और 9

के लिए (दूसरे उध्र्वाधिर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

महत्वपूर्ण: कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

अनुक्रमांक
Roll Numbers

0	8	1	2	7	6

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

<u>अनुबंध-IV</u>

<u>परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए विशेष अनुदेश</u>

1. उत्तर अपने हाथ से लिखना:

उत्तर स्वयं स्याही से लिखें। पेंसिल का प्रयोग कच्चे कार्य के लिए किया जा सकता है।

2. उत्तर पुस्तिका की जांच:

उम्मीदवार को अपने द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रत्येक उत्तर पुस्तिका में विर्निदिष्ट स्थान में ही अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए (अपना नाम नहीं)। उत्तर पुस्तिका में लिखना शुरू करने से पहले कृपया यह देख लें कि वह पूरी है। यदि किसी उत्तर पुस्तिका के पन्ने गुम हों, तो उसे बदलवा लेना चाहिए।

उत्तर पुस्तिका में से किसी पृष्ठ को न फाड़ें। यदि आप एक से अधिक उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करते हैं, तो उसे प्रथम उत्तर पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर कुल प्रयोग की गई उत्तर पुस्तिका ओं की संख्या अंकित करें। उत्तरों के बीच में खाली जगह न छोड़ें। यदि ऐसे स्थान छोड़े गए हों तो उन्हें काट दें।

3. निर्धारित संख्या से अधिक दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा:

उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो केवल निर्धारित संख्या तक पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा। शेष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

4. उम्मीदवार सार लेखन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर केवल निरीक्षकों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराए जाने वाले सार लेखन पत्रकों पर ही दें। सार लेखन पत्रक का प्रयोग किया गया हो या नहीं, उसे उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर रखें और अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका (यदि कोई हो) के साथ के साथ मजबूती से बांध दें। उम्मीदवार यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। इन शीटों पर अपना अनुक्रमांक न लिखें।

5. अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित:

किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल न करें, न ही अपने पेपर की नकल करने दें और न ही किसी भी प्रकार की अनियमित सहायता दें, न ही देने का प्रयास करें, और न ही प्राप्त करने का प्रयास करें। यह प्रत्येक उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे

कि किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा उसके उत्तरों की नकल न की जाएं। ऐसा न करने पर अनुचित तरीके अपनाने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दंड दिया जाएगा।

6. परीक्षा भवन में आचरण:

किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें या परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाएं या परीक्षा के संचालन के लिए तैनात स्टाफ को परेशान न करें या उन्हें शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाएं। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा।

7. कृपया परीक्षा हॉल में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उनका अनुपालन करें।

परिशिष्ट-V

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद के लिए उम्मीदवार हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानदण्ड

परिशिष्ट-V(क)

(1) शारीरिक मानक :

उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं इस प्रकार हैं:

	पुरूष	**महिला**
कद	165 सें.मी.	157 सें.मी.
छाती	81 सें.मी. (बिना फुलाए) (कम से कम 5 सें. मी. फूलाने के साथ)	(लागू नहीं)
वजन	50 किलो	46 किलो

टिप्पणी: पुरुष उम्मीदवार का कद और छाती का माप और महिला उम्मीदवार का कद केवल सेंटीमीटर में एक दशमलव स्थान तक सही मापा जाएगा। उदाहरण के लिए, कद 165.2 सेंटीमीटर मापा जाएगा और दर्ज किया जाएगा। पद के लिए नियमावली के परिशिष्ट-II (क) में उल्लिखित न्यूनतम निर्धारित माप से कम कद या छाती का माप रखने वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि न्यूनतम कद 165 सेंटीमीटर है, तो 164.9 सेंटीमीटर या उससे कम कद वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा वजन **परिशिष्ट-II (ख)** में उल्लिखित किए गए कद और आयु के अनुसार होना चाहिए।

(2) चिकित्सा मानक:

(क) दृष्टि:

	बेहतर आंख (करेक्टेड विज़न)	खराब आंख (करेक्टेड विज़न)
दूर की दृष्टि	6/6	6/12
	अथवा	
	6/9	6/9
निकट दृष्टि	**एन-6 (करेक्टेड)**	**एन-9 (करेक्टेड)**
चश्मे/लेसिक सर्जरी के साथ*		
अनुमत रिफ्रेक्टीव एरर की सीमाएं	-4.00 डी (सिलेंडर सहित) मायोपिया +4.00 डी (सिलेंडर सहित) हाइपर मेट्रोपिया	
रंग धारणा III (सीपी-III) इशिहारा प्लेटों द्वारा।		

* लेसिक सर्जरी सुधार की अनुमति निम्नानुसार निर्धारित मानदंडों के अधीन है।

क) आयु- 18-35 वर्ष

ख) अक्षीय लंबाई - 21.26 मि.मी.

ग) कोर्नियल मोटाई - 425 माइक्रोन

ध) प्रीलेसिक एरर - 6 डी

ड़) पोस्ट ऑपरेटिव अवधि - स्थिर होनी चाहिए।

च) अंतराल- 06 माह (अनिवार्य पोस्ट ऑपरेटिव अवधि)

(सीएपीएफ में भर्ती के लिए विचार करते समय उम्मीदवार को लेसिक सर्जरी के बाद 06 महीने पूरे होने चाहिए।)

(ख) कैरिंग एंगल:

पुरूष के लिए कैरिंग एंगल 15^0 और महिला के लिए 20^0 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) कान:

(i) उम्मीदवार में बहरापन या कान से लगातार डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए।

(ii) उम्मीदवार में कान के छिद्र का अवरोध, एक्सोस्टोसिस, नियोप्लाज्म जैसी कोई अन्य स्थिति (जन्मजात या बाद में अधिग्रहित) नहीं होनी चाहिए जो कान के मार्ग में

रुकावट पैदा कर रही हो, और उसे बार-बार होने वाले कान दर्द, टिनिटस और वर्टिगो की पुरानी समस्या नहीं होनी चाहिए।

(घ) नाक : उम्मीदवारों को डीएनएस, एट्रोफिक राइनाइटिस, ट्यूबरकुलर अल्सरेशन, क्रॉनिक साइनसाइटिस नहीं होना चाहिए।

(ङ) गर्दन : उम्मीदवार के लिम्फ नोड्स बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, थायरॉइड ग्रंथि या गर्दन में कोई अन्य सूजन नहीं होनी चाहिए, गर्दन को पूरी तरह से हिलाने में असमर्थता नहीं होनी चाहिए या रीढ़ की हड्डी या सर्विकल वर्टिब्रा की बीमारी का कोई संकेत नहीं होना चाहिए।

(च) दांत : ठीक से चबाने के लिए उम्मीदवार के पास पर्याप्त संख्या में दांत होने चाहिए। उम्मीदवार को गंभीर पायरिया नहीं होना चाहिए।

(छ) यौन संचारित रोग : उम्मीदवार में नैदानिक वीडी के सक्रिय संकेत नहीं होने चाहिए।

(ज) पुराने त्वचा रोग : उम्मीदवार को पुराने त्वचा रोग जैसे कुष्ठ रोग, क्रॉनिक डर्माटाइटिस, गंभीर पिट्रियासिस वर्सीकलर, सोरायसिस, एसएलई आदि नहीं होना चाहिए।

3. सामान्य मानक :

(क) बोलने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए अर्थात हकलाहट नहीं होनी चाहिए।

(ख) उम्मीदवार में टीबी, किसी भी प्रकार के गठिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ब्रोन्कियल अस्थमा, किसी भी हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारी का कोई लक्षण नहीं होना चाहिए।

(ग) उम्मीदवार के शरीर में कहीं भी प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाली ग्रंथियों की सूजन नहीं होनी चाहिए।

(घ) छाती, सुगठित होनी चाहिए, कोई भी असामान्यता नहीं होनी चाहिए जैसे कि सपाट छाती, पिजन छाती, पसलियों के सिरों पर सूजन (रिकेटी रॉसरी डिफेक्ट्स)। दिल और फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए।

(ड़) अंग, हाथ और पैर सुगठित और पूरी तरह से विकसित होने चाहिए और सभी जोड़ ठीक से काम कर रहे हों।

(च) कोई पुराना ठीक से न जुड़ा हुआ संयुक्त फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए।

(छ) सभी जोड़ निर्बाध रूप से और ठीक ढंग से काम करने चाहिए।

(ज) पैर और पैर की उंगलियां सुगठित होनी चाहिए।

(झ) कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं होना चाहिए।

(ञ) किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी के लक्षण नहीं होने चाहिए जो कमजोर शारीरिक स्थिति का संकेत देते हों।

(ट) उम्मीदवार में जननांग मूत्र मार्ग की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए।

(ठ) उम्मीदवार में कोई वंक्षण, अंडकोश की सूजन किसी भी प्रकार का हर्निया नहीं होना चाहिए।

(ड) (केवल पुरूष के लिए) दोनो अंडकोष अंडकोश की थैली में और सामान्य आकार के होने चाहिए।

(ढ) उम्मीदवार को नॉक नीज,फ्लैट फुट, वैरिकाज़ नसें नहीं होनी चाहिए।

(ण) उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कार्यों के कुशल कार्य-निष्पादन में हस्तक्षेप की संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए।

(4) उम्मीदवार को टैकीकार्डिया (प्रति मिनट 100 से अधिक पल्स रेट) या ब्रैडीकार्डिया (प्रति मिनट 50 से कम)से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

(5) उम्मीदवार हर्निया, बवासीर, कॉन्डिलोमेटा प्रोलैप्स रेक्टम से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

(6) टैटू संबंधी अनुच्छेद :

(क) विषय-वस्तु : धर्म-निरपेक्ष देश होने के नाते, अपने देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इसलिए धार्मिक चिन्ह अथवा व्यक्तित्वों तथा उनके नाम को दर्शाने वाले टैटू बनाने की अनुमति होगी,जैसा कि भारतीय सेना में किया जाता है।

(ख) स्थान : शरीर के सामान्य हिस्सों पर जैसे केवल बाएं बाजू के अंदरूनी भाग की तरफ, क्योंकि यह सलामी देने वाला हाथ नहीं हैं,या हाथों के पिछले हिस्से (डोरसम)में ही टैटू बनवाने की अनुमति होगी।

(ग) आकार : इसका आकार,शरीर के संबंधित भाग(कोहनी अथवा हाथ)के $1/4$ से कम होना चाहिए।

टिप्पणी: 1. चिकित्सा परीक्षण का आयोजन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल के अंतर्गत राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती हेतु गृह मंत्रालय के यूओ दिनांक

20.05.2015 द्वारा जारी संशोधित समान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षण, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल के अंतर्गत राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के लिए गृह मंत्रालय के यूओ सं.ई-32012/ एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एवं आरएमई/डीए-1/2020(पार्ट फाइल)/1166 दिनांक 31.05.2021 के तहत जारी समीक्षा चिकित्सा परीक्षण हेतु संशोधित समान दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

2. उम्मीदवार को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में “फिट” या “अनफिट” घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में “अनफिट” घोषित किया जाता हैं, उन्हें यदि संभव हो तो विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के अगले दिन समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

**विभिन्न आयु समूहों और कद के लिए किलोग्राम में पुरूष शरीर का औसत वजन

सें.मी. में कद	(आयु वर्ष में)			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.5-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59--72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

**विभिन्न आयु समूहों के लिए किलोग्राम में महिला शरीर का औसत वजन-कद

सें.मी. में कद	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

- इस चार्ट में शरीर का वजन केवल कुछ निश्चित कद (से.मी. में) के अनुरूप दिया गया है। बीच के कद के संबंध में, शरीर के वजन की गणना के लिए 'औसत' के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है।
- सारणीबद्ध कद के बाद औसत भार की गणना के लिए कद में वृद्धि या कमी के प्रत्येक एक से.मी. के लिए 0.71 किलोग्राम को क्रमश: जोड़ा या घटाया जा सकता है।

परिशिष्ट-VI

परिशिष्ट-VI (क)

सेवारत कार्मिक के लिए प्रमाणपत्र का प्रोफोर्मा

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती..,(रैंक) के रूप में ....(यूनिट/कार्यालय) कार्यरत हैं। उन्होंने विज्ञापन संख्या...............दिनांक ....के तहत ....(भर्ती करने वाली एजेन्सी का नाम) द्वारा विज्ञापित ....पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं एतदद्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री/कु./श्रीमती..........................(नाम) संख्या ....(रैंक) के संबंध में निम्नलिखित को सत्यापित करता हूं :-

i. वे दिनांक ....को, अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए...........................वर्ष (शब्दों में) की निर्धारित नियोजन अवधि पूरी कर लेंगे। श्री/कु./श्रीमती ....अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को....................वर्ष की सेवा (शब्दों में) और सैन्य सेवा से मुक्त होते समय.................वर्ष की सेवा (शब्दों में) पूर्ण कर लेंगे।

ii. उक्त पद के लिए चयनित होने पर इन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

कमान अधिकारी

(हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय की मुहर

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदों हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले परिवचन का प्रपत्र

मैं समझता हूँ कि जिस भर्ती/परीक्षा से यह आवेदन संबंधित है उस के आधार पर चयन होने की स्थिति में मेरी नियुक्ति, मेरे इस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य को नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बल से विधिवत सेवामुक्त/सेवानिवृत्त/डिस्चार्ज किया गया है और मैं, समय-समय पर यथासंशोधित, भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन: नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूं।

2. मैं यह भी समझता हूँ कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था.(आरईएस) के अनुसार, यदि मैं किसी भी सिविल रोजगार पर नियुक्त होने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता हूं, तो मैं बाद में किसी भी नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता हूं बशर्ते कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी सिविल नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करते ही मुझे संबंधित नियोक्ता को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों तथा जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है, के संबंध में स्व-घोषणा/ परिवचन के रूप में तारीख-वार विवरण देना होगा, जिनके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पूर्व आवेदन किया है।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

****